उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-132/2018/एम-06/71-1-2018-पी0एफ0-60/1999
लखनऊ : दिनांक 15 मई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा0 पवन प्रधान, एम0एस0 (आर्थोपेडिक्स), चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिधौली, सीतापुर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के आर्थोपेडिक्स विभाग में प्रवक्ता के पद पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4817/सेक-1/71-1-2000-पी0एफ0-60/1999, दिनॉक 09-03-2000 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए, तैनात किया गया था। डा0 पवन प्रधान को कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-08-2015 द्वारा आचार्य के पद पर पदनामित किया गया है। अन्तिम बार डा0 पवन प्रधान की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2577/71-1-15-पी0एफ0-60/1999, दिनॉक 04-02-2016 द्वारा दिनॉक 28-10-2015 के पश्चात् एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी गयी थी। उक्त अवधि दिनॉक 28-10-2016 को समाप्त हो गयी है।

2- कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनॉक 26-05-2003 के आधार पर डा0 पवन प्रधान, आचार्य, आर्थोपेडिक्स विभाग, मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनॉक 28-10-2015 के पश्चात् 01 वर्ष बढ़ाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। अत: प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त डा0 पवन प्रधान, आचार्य, आर्थोपेडिक्स विभाग, मेडिकल कालेज, कन्नौज सम्बद्ध बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को एतद्द्वारा उनके मूल विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वापस किया जाता है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या:-132/2018/एम-06(1)/71-1-2018- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर/कन्नौज।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर।
7- कोषाधिकारी, गोरखपुर/कन्नौज।
8- संबंधित चिकित्सा शिक्षक/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।